

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पूर्वी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-1, मुख्यालय,
बिहार राज्य ईलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कोलोनी,
टी. आर. डब्लू भवन के नजदीक,
पोस्ट+थाना - शास्त्रीनगर, पटना- 800023

संदर्भ: पावरग्रिड/पू.क्षे.-1 क्षे.मु./आर.टी.आई-372&373/2024-25/

दिनांक: 20.06.2024

सेवा में,

श्री ब्रज मोहन कुमार
ग्राम - बिजावन पर
पोस्ट - महानंदपुर, थाना - दीपनगर
जिला - नालंदा (बिहार) पीन - 803216

विषय : आर.टी.आई 2005 के अंतर्गत मॉगी गई सूचना के सम्बंध में ।

संदर्भ : 1. PGCIL/R/E/24/273 dtd. 20.05.2024 &
2. PGCIL/R/E/24/274 dtd. 20.05.2024

महोदय,

अपने आवेदन के सम्बंध में निम्न सूचना प्राप्त करें :

- काल्पनिक प्रश्न । ट्रांसमिशन लाईन / टावर का निर्माण Electricity Act / Regulations / Rules के तहत एवं संबंधित तकनीकी पहलुओं को जाँच कर और कार्य की आवश्यकता अनुसार किया जाता है ।
- पावरग्रिड द्वारा बनाए गई सभी ट्रांसमिशन लाईन का विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है ।
- इस सम्बंध में टेलिग्राम अधिनियम / विददुत अधिनियम में दिये गए नियमों का पालन किया जाता है जिनकी प्रति पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है ।
- काल्पनिक प्रश्न । ट्रांसमिशन लाईन / टावर का निर्माण Electricity Act / Regulations / Rules के तहत एवं संबंधित तकनीकी पहलुओं को जाँच कर और कार्य की आवश्यकता अनुसार किया जाता है ।
- पावरग्रिड द्वारा बनाए गई सभी ट्रांसमिशन लाईन का विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है ।
- काल्पनिक प्रश्न । ट्रांसमिशन लाईन / टावर का निर्माण Electricity Act / Regulations / Rules के तहत एवं संबंधित तकनीकी पहलुओं को जाँच कर और कार्य की आवश्यकता अनुसार किया जाता है ।
- काल्पनिक प्रश्न - ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण Technical specification एवं Electricity Act / Regulations / Rules के तहत होता है ।

भवदीय

20/06/24

(माज़ आलम)

उप महाप्रबंधक, बिहारसरीफ सह
डीम्ड लोक सूचना अधिकारी

सूचनार्थ प्रेषित:

- कार्यपालक निदेशक, पूर्वी क्षेत्र-1, पटना
- वरि.महाप्रबंधक (सतर्कता), पूर्वी क्षेत्र-1, पटना
- केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पूर्वी क्षेत्र-1, पटना